<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-1, कोटा (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी	:	आशीष दाधीच, RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	1215/2026
एफ.आई.आर.संख्या	:	171/2026
अंतर्गत धारा	:	305(ए), 331(4), 317(2) BNS
पुलिस थाना	:	गुमानपुरा, कोटा शहर

शाहरूख पुत्र बाबू, निवासी मेला ग्राउण्ड के पास, मांगरोल रोड, पुलिस थाना कोतवाली बारां, हाल फुटपाथ कोटड़ी रोड़, गुमानपुरा, कोटा (राजस्थान)

--प्रार्थी अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कोटा

--विपक्षी

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित:-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री मोह0 जाहिर चिश्ती, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य सरकार की ओर से

आदेश दिनांक: 27.05.2026

प्रार्थी अभियुक्त **शाहरूख** की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र जरिये अधिवक्ता माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा में पेश किया गया जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

02. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जो न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है उसका उक्त प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के अधिक समय तक जेल में रहने से उसके परिवार के भूखो मरने की नौबत आ जावेगी। प्रार्थी अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई रिकवरी या अनुसंधान करना शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त बारां जिले का स्थाई

Authenticated Document

निवासी है, जिसके फरार होने एवं गवाहान को टेम्परविद किए जाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रकरण के सहअभियुक्त युसुफ खान व शारिक खान की जमानत पूर्व में ली जा चुकी है जिनसे प्रार्थी का मामला भिन्न नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में इस न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगना बताते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

03. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

04. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि फरियादी हिमांशु गर्ग ने पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका बंगाली कॉलोनी श्रीराम हार्डवेयर के सामने छावनी में मल्टी पर काम चल रहा है जिसमें अभी लाइट व ए.सी. फिटिंग का काम चल रहा है जिस मकान पर लाइट फिटिंग के वायर पड़े हुए थे, वह दिनांक 18.04.2026 की शाम करीब 08.30 पीएम पर मकान पर देखा तो सामान मकान पर ही था उसके बाद दिनांक 19.04.2026 को सुबह 07.00 एएम पर मल्टी पर गया तो वहां से ए.सी. की कॉपर की लाइन करीब 600 फीट व 2 फ्लोर का वायर 3 एक्स पावर का चोरी हो गया था। वह करीब 07.30 एएम पर युसुफ व शारिक कबाड़ी की दुकान पर कबाड़ी मार्केट पहुंचा तो उनकी दुकान के सामने बोरों में भरा हुआ उसका चोरी हुआ माल मिला जिसको उसने पहचान लिया। उसने वीडियो भी बनाई थी जो उसके पास मौजूद हैं उसने उस समय भी थाने पर रिपोर्ट दी थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है..... इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 171/2026 संस्थित की जाकर अन्वेषणाधीन है।

05. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतः Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में एक प्रकरण संस्थित हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	मुक.नंबर	धारा	पुलिस थाना	चार्जशीट	रिमार्क
1	364/2025	305 (m) BNS	गुमानपुरा	287/2025	पेंडिंग कोर्ट

06. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 1 प्रकरण संस्थित हुआ है जिसको वर्तमान में न्यायालय में लंबित होना बताया गया है। अनुसंधान पत्रावली पर आया है कि शारिक एवं युसुफ के द्वारा उक्त सामान प्रार्थी अभियुक्त से खरीदना बताया है। प्रकरण के सहअभियुक्त शारिक की सूचना पर 14 बण्डल तार बरामद किये जा चुके हैं। प्रकरण के

Authenticated Document

सहअभियुक्त युसफ की जमानत दिनांक 14.05.2026 को व शारिक खान की जमानत दिनांक 19.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है जिनसे प्रार्थी अभियुक्त का मामला भिन्न नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 23.05.2026 से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 305(ए), 317(2), 331(4) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है। प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् विचारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित पाता हूँ।

07. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त शाहरूख की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 30 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि 15-15 हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित), विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिया जावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। इस जमानत आदेश में किये गये विवेचन का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(आशीष दाधीच)

आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष दाधीच)

NAND KISHORE BANSAL

Digitally signed by NAND KISHORE BANSAL
Date: 2026.05.29 13:15:58 +0000

Authenticated Document